# न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर—सरिया

**प्रदीप कुमार वगै0 बनाम् बाची साव वगै0**
**वाद संख्या —07/2024**
**धारा — 144 द०प्र०सं०**

| आदेश की क्र०सं० और तिथि | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 11.03.2024 | आदेश<br><br>आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। आवेदक प्रदीप कुमार, पिता— स्व0 कन्हैया साव एवं अन्य, साकिन— साहु मुहल्ला बगोदर, थाना— बगोदरन, जिला— गिरिडीह के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर विवादित भूमि, मौजा— बगोदर, थाना— बगोदर, जिला— गिरिडीह, खाता न०— 269, प्लॉट न०— 4022, रकवा— 05 डी० चौहद्दी : उ०— जीतन साव, द०— तालेश्वर साव वगै0, पू०— खिरू साव वगै0, प०— लाटो साव वगै0 पर दिनांक 08/01/2024 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त विवाद ग्रस्त जमीन पर जाने तथा कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। साथ हीं निषेधाज्ञा संपुष्टि हेतु कारण पृच्छा भी की गई।<br><br>उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया।<br><br>द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत वाद की समयअवधि 60 दिनों की हीं होती हैं। आज 60 वें दिन तक भी दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।<br><br>अतः इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है और निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>Sd/- 11.03.2024 — अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर—सरिया।<br><br>Sd/- 11.03.2024 — अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर—सरिया। | |

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.19 15:06:21 +05:30
Location: 192.168.1.9